

## राज्य स्थापना दिवस

**स्रोत: बजिनेस स्टैण्डर्ड**

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक और केरल राज्यों को उनके स्थापना दिवस (1 नवंबर) पर शुभकामनाएँ दीं।

- उन्होंने सांस्कृतिक विरासत, विकास, संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों सहित विभिन्न क्षेत्रों में देश के लिये प्रत्येक राज्य के योगदान पर प्रकाश डाला।

राज्य का नाम	गठन का वर्ष	राज्यों का विभाजन	राज्य के गठन हेतु विलय किये गए क्षेत्र
मध्य प्रदेश	1956	-	पूर्व मध्यभारत, विधिय प्रदेश, भोपाल राज्य, मध्य प्रांत और बरार, संयुक्त प्रांत तथा बॉम्बे राज्य के कुछ हिस्से
कर्नाटक	1956	-	दक्षिण भारत का कन्नड़ भाषी क्षेत्र (पूर्व में मैसूर के नाम से जाने जाते थे)
केरल	1956	-	त्रावणकोर-कोचीन को दक्षिण केनरा बैंक के मालाबार और कासरगोड तालुक के साथ एकीकृत किया गया
हरियाणा	1966	पंजाब	-
छत्तीसगढ़	2000	मध्य प्रदेश (16 छत्तीसगढ़ी भाषी जिलों के साथ)	-

### राज्य के गठन से संबंधित संवैधानिक प्रावधान क्या हैं?

- अनुच्छेद 2: यह संसद को 'भारत संघ में किसी क्षेत्र को शामिल करने या ऐसे नयियों और शर्तों पर नए राज्यों की स्थापना करने का अधिकार देता है, जो वह उचित समझती है'।
- अनुच्छेद 3: यह भारत संघ के मौजूदा राज्यों में परिवर्तन से संबंधित है। यह घटक राज्यों के क्षेत्रों के बीच आंतरिक पुनर्समायोजन से संबंधित है। यह संसद को यह अधिकार देता है कि-
  - किसी राज्य से भू-भाग अलग करके या दो या अधिक राज्यों को मिलाकर एक नया राज्य बनाना, उदाहरणार्थ, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना और बिहार से झारखंड का गठन।
  - किसी राज्य के क्षेत्र और सीमा या नाम में वृद्धि, कमी, परिवर्तन करना। उदाहरणतः उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और कर्नाटक के क्षेत्र और नाम में परिवर्तन।
- हालाँकि इस संबंध में दो शर्तें हैं:
  - इसके लिये कोई विधायक राष्ट्रपति की पूर्व सफारिश से ही संसद में पेश किया जा सकता है;
  - राष्ट्रपति को एक नश्चिन्ता अवधि के भीतर इसे राज्य विधानमंडल के पास अपने विचार व्यक्त करने के लिये भेजना होता है (हालाँकि राष्ट्रपति या संसद राज्य विधानमंडल के विचारों से बाध्य नहीं है)।
    - केंद्रशासित प्रदेश के मामले में कोई संदर्भ देने की आवश्यकता नहीं है।

# भारत में राज्यों का पुनर्गठन

वर्ष 1956 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग ने 14 राज्यों और 6 केंद्रशासित प्रदेशों के गठन का सुझाव दिया था। वर्तमान भारत में 28 राज्य और 8 केंद्रशासित प्रदेश हैं।

**1950** राज्यों को 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया - भाग A, B, C और D (प्रथम अनुसूची)

- भाग A- निर्वाचित राज्य विधानमंडल, जो राज्यपाल द्वारा शासित होंगे
- भाग B- पूर्व रियासतें
- भाग C- पूर्व मुख्य आयुक्तों के प्रांत, कुछ रियासतें
- भाग D- अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह

## 7वाँ संविधान संशोधन (1956)

- भाग-A और भाग-B के राज्यों के बीच का अंतर समाप्त कर दिया गया
- भाग-C के राज्यों को समाप्त कर दिया गया (पूर्ववर्ती) राज्यों की कुल संख्या 14 और केंद्रशासित प्रदेश की संख्या 6 है

## वर्ष 1956 के पश्चात् राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का पुनर्गठन/निर्माण

### अन्य राज्यों से अलग हुए राज्य

- बाँम्बे से गुजरात और महाराष्ट्र (बाँम्बे पुनर्गठन अधिनियम, 1960)
- असम से नगालैंड (नगालैंड राज्य अधिनियम, 1962)
- पंजाब से हरियाणा (पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966)
- असम से मेघालय (पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971)
- मध्यप्रदेश से छत्तीसगढ़ (मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000)
- उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000)
- बिहार से झारखण्ड (बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000)
- आंध्र प्रदेश से तेलंगाना (आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014)



### राज्य का दर्जा देने के पश्चात् गठित राज्य

- हिमाचल प्रदेश (हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970)
- मणिपुर और त्रिपुरा (पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971)
- सिक्किम (36वाँ संविधान संशोधन (1975))
- मिज़ोरम (मिज़ोरम राज्य अधिनियम, 1986)
- अरुणाचल प्रदेश (अरुणाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1986)
- गोवा (गोवा, दमन एवं दीव पुनर्गठन अधिनियम, 1987)

### केंद्रशासित प्रदेशों का गठन

- अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली, लक्षद्वीप - 1956
- पुदुचेरी - 1962
- चंडीगढ़ - 1966
- जम्मू-कश्मीर और लद्दाख - 2019
- दादर एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव - 2020

## UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न (PYQ)

प्रश्न: वर्ष 1953 में जब आंध्र प्रदेश को अलग राज्य बनाया गया था तब उसकी राजधानी कसि बनाया गया था? (2008)

- (a) गुंटूर
- (b) कुरनूल
- (c) नैल्लोर
- (d) वारंगल

उत्तर: (b)

